न्यायालय जिला कलेक्टर, कोटा

पीठासीन अधिकारी : उज्ज्वल राठौड़ I.A.S.

प्रकरण संख्या –18/2018 (आव0व0अधि0)

GCMS NO. 2018/00029

सरकार जर्ये प्रवर्तन निरीक्षक, कार्यालय जिला रसद अधिकारी कोटा

––प्रार्थी.

बनाम

श्री मैसर्स शिमाचल मैस एण्ड टिफिन सेन्टर कोटा
श्री शमसजमा पुत्र स्व. श्री इरफान निवासी 4–छह–17 विज्ञान नगर कोटा ।

––अप्रार्थीगण.

कार्यालय जिला कलेक्टर कोटा (राज०)

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6 ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955

निर्णय

दिनांक 20.07.2021

1. संक्षेप में प्रकरण इस प्रकार है कि श्री अरविन्द आचार्य प्रवर्तन निरीक्षक कार्यालय जिला रसद अधिकारी कोटा द्वारा आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6–ए के तहत इस आशय का प्रार्थना पत्र पेश किया गया है कि खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, राजस्थान जयपुर के पत्र क्रमांक एफ 17(2)खा.वि./न्याय/2000 जयपुर दिनांक 19.2.2018 की अनुपालना बाबत दिनांक 22.2.2019 को जिला रसद अधिकारी कोटा द्वारा दिये मौखिक निर्देशानुसार श्री अरविन्द आचार्य, प्रवर्तन निरीक्षक जांच हेतु मैसर्स शिमाचल मैस एण्ड टिफिन सेन्टर कोटा के यहां पहुंचे । मौके पर मालिक श्री शमसजमा पुत्र स्व0 श्री इरफान निवासी 5–छह–17 विज्ञान नगर उपस्थित मिलें । जहां पर घरेलू गैस सिलेण्डर्स के अवैध संग्रहण की जांच की गई ।, वक्त जांच इस प्रकार स्थिति पाई गई कि मैसर्स शिमाचल मैस एण्ड टिफिन सेन्टर कोटा पर श्री शमसजमा घरा घरेलू गैस सिलेण्डर्स का अवैध रूप से संग्रहण किया जाना पाया गया तथा घरेलू गैस सिलेण्डर का व्यावसायिक कार्यो में उपयोग कर भोजन बनाकर कीमतन विक्रय किया जा रहा था ।

इस प्रकार मौके पर पाये गये निम्नांकित विवरण के घरेलू गैस सिलेण्डर्स का अवैध संग्रहण करने के कारण द्रवित पेट्रोलियम गैस (प्रदाय एवं वितरण का विनियमन) आदेश 2000 के खण्ड 3(1) आदि धाराओं का उल्लंघन पाये जाने से मौके से जप्त किया जाकर मौके पर ही उपस्थित श्री मनोज मेघवाल पुत्र श्री बाबूलाल मेघवाल निवासी नान्ता रोड कुन्हाडी कोटा मैसर्स सुलभ गैस एजेन्सी कोटा को सुपुर्दगी में शर्तो के अनुसार दिया गया । सिलेण्डरों का विवरण निम्नानुसार है :–

जिला कलेक्टर
कोटा

क.सं.	तेल कम्पनी का नाम	गैस सिलेण्डर्स के एस.आर.नं.	टेयर वेट (किलोग्राम)	नेट वेट (किलोग्राम)	सिलेण्डर प्रकार
1	BPCL	240855	19.3	5.4	व्यावसायिक
2	Indan	039737	19.5	19.5	व्यावसायिक
3	Indan	30826	15.5	15.5	घरेलू
4	Indan	41357	16.6	30.8	घरेलू

2. इस प्रकार उक्त शमसजमा पुत्र स्व. श्री इरफान निवासी 4–छह–17 विज्ञान नगर कोटा द्वारा सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अनुदानित गैस सिलेण्डर्स का अवैध रूप से संग्रहण कर द्रवित पैट्रोलियम (प्रदाय का विनियमन एवं वितरण) आदेश 2000 के खण्ड 3(1) (ए), (बी) का स्पष्ट उल्लंघन किया है । अतः उक्तानुसार अधिग्रहित कुल 04 घरेलू उपयोग के सिलेण्डर्स को राजसात करने के आदेश प्रदान फरमावें ।

3- प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6 बी के अधीन नोटिस जारी किया गया । मौके पर उक्त मैस बन्द होने से अप्रार्थी 5–6 महिने से बाहर चला जाने से तथा काफी पूछताछ करने पर भी उसका पता नहीं मिलने से नोटिस रिपोर्ट के साथ बाद तामिल प्राप्त हुआ । अप्रार्थी द्वारा मैस बन्द कर अन्यत्र चला जाने से तथा अन्य पता मालूम नहीं होने से अप्रार्थी के विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही की जाती है । पेरोकार रसद की एकपक्षीय बहस सुनी गई ।

4. हमने पत्रावली का अवलोकन किया । दिनांक 22.02.2018 को अवैध घरेलू गैस सिलेण्डरों के व्यावसायिक उपयोग की रोकथाम हेतु गठित जांच दल के द्वारा मैसर्स शिमाचल मैस एण्ड टिफिन सेन्टर कोटा में मौजूद श्री शमसजमा पुत्र स्व. श्री इरफान निवासी 4–छह–17 विज्ञान नगर कोटा उपस्थित मिले जिन्होंने स्वयं को दुकान का मालिक होना जाहिर किया । श्री शमसजमा की उपस्थिति में दुकान की जांच की गई । जांच के दौरान 02 घरेलू एवं 02 व्याससायिक गैस का सिलेण्डर का उपयोग ग्राहकों के लिए भोजन बनाकर कीमतन बिकी किया जाने पर राजहित में जब्त किये गये ।

5. इस प्रकार श्री शमसजमा पुत्र इरफान निवासी 4–छह–17 विज्ञान नगर कोटा द्वारा अनुदानित घरेलू गैस सिलेण्डर्स का अवैध रूप से संग्रहण कर द्रवित पेट्रोलियम (प्रदाय का विनियमन एवं वितरण) आदेश 2000 के खण्ड 3 (1), (ए),(बी) का स्पष्ट उल्लंघन किया है।

6. अतः आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6 ए के तहत सीज्ड माल 02 व्याससायिक एवं 02 घरेलू कुल–04 (चार) गैस सिलेण्डर को राजसात (Confiscation) किया जाता है। जिला रसद अधिकारी कोटा को आदेश की प्रति पालनार्थ भेजी जावे।

7. निर्णय आज दिनांक 20.07.2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(उज्ज्वल राठौड़)
जिला कलेक्टर, कोटा
जिला कलेक्टर
कोटा